सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 92/2018
रत्ती खॉ पुत्र रुजदार जाति मेव मुसलमान निवासी ग्राम गंदूरी तहसील झिरका फिरोजपुर जिला नूह मेवात हरियाणा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये ए0पी0पी0, दौसा

प्रार्थना –पत्र सुपुर्दगी वाहन
पिक अप नंबर एच आर 74 ए– 3944

उपस्थित:1. श्री चरण सिंह डोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री राम गिलास मीना, अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:11.07.18

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि पुलिस थाना बॉदीकुई द्वारा एफआईआर संख्या 608/2016 जुर्म धारा 3,5,6,7,8,9 गोवंश अधिनियम के अंतर्गत पिक अप नंबर एच आर 74 ए– 3944 जब्त कर लिया गया। जिसको प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी में सॅभलाने हेतु प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति पैरोकार सरकार को दी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.06.2018 को एक प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बॉदीकुई के यहॉ चालान पेश कर दिया गया है। प्रा0 पत्र के साथ चालना की प्रमाणित प्रति पेश की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वाहन पिकअप का प्रार्थी स्वामी है, जिसको झूॅठा फॅसाया जाकर पिकअप जब्त कर लिया गया। प्रार्थी की पिकअप ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस थाना बॉदीकुई द्वारा अनुसंधान पूर्ण

कर लिया अब कोई अनुसंधान बाकी नहीं है । प्रकरण के ट्रायल में अभी समय लगेगा इसलिए प्रार्थी का पिकअप सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर लौटाया जावें। प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की नजीर पेश की गई।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम–1955 की धारा 7 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को गौवंश सुपुर्दगी में देने की शक्तियॉ प्रदत्त है। वाहन की सुपुर्दगी की शक्तियॉ न्यायालय को है। साथ ही उन्होनें यह भी बताया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत वाहन छोडने के स्पष्ट प्रावधान अंकित नहीं है किंतु जिस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान अंकित नहीं होते वहॉ सीआरपीसी लागू होती है। इसलिए वाहन इस न्यायालय से सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चालान की प्रति का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिस थाना बॉदीकुई द्वारा दिनांक 23.11.2016 को जुर्म धारा 3,5,6,7,8,9 गोवंश अधिनियम के अंतर्गत गौवंश मय पिकअप जब्त किया जाकर एफआईआर संख्या 608/2016 दर्ज की गई और बाद जॉच चालान पेश किया जा चुका है। दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में स्पष्ट रुप से बताया कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम–1955 की धारा 7 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को गौवंश सुपुर्दगी में देने की शक्तियॉ प्रदत्त है। वाहन की सुपुर्दगी की शक्तियॉ न्यायालय को है तथा अपनी जिरह में यह भी बताया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत वाहन छोडने के स्पष्ट प्रावधान अंकित नहीं है किंतु जिस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान अंकित नहीं होते वहॉ सीआरपीसी लागू होती है। ऐसी स्थिति में हम पैरोकार सरकार की बहस से सहमत है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होने से इस न्यायालय को इस प्रकरण पर विचार करने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है अर्थात प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11 जुलाई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official